IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 22, Issue 5, Ver. I (May 2017) PP 127-129
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

मानवाधिकारों का उल्लंघन

डॉ० दीप कुमार श्रीवास्तव
एसोसिएट प्रोफेसर
रक्षा अध्यन विभाग एस. एम. कॉलेज चंदौसी

सारांष
किसी भी सभ्य समाज में मानवाधिकरों का निर्विवाद महत्व हैं। सृष्टि की रचना के समय से ही मानव जाति अने अस्तित्व को बनाये रखने और जीवन की अनिवार्य आष्यकताओं, सुविधाओं, स्वतंत्रताओं और सुरक्षा क प्रति सजग रही हैं। आज विष्व के प्रायः सभी लोकतांत्रिक देषों में न केवल मानव अधिकरों को मान्यता दी गई है अपितु उन्हें संरक्षित भी किया गया है, लेकिन दूसरी ओर मानवाधिकारों के उल्लघंन के मामले स्पष्ट हो रहे है। यह अत्यंत विचाारणीय प्रष्न है। इस संदर्भ में विकसित एवं विकासषील देषों की दृष्टि का अंतर, जो कि सामाजिक विवाद का विषय बना हुआ है तथा मानवाधिकार क्या है, इसका हनन क्यों, किस रूप में हो रहा हैं आदि प्रष्नों पर विचार करना होगा।

परिचय

मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो मानव जाति के विकास के लिये मूलभूत है तथा यह मानव को केवल इस आधार पर मिलना चाहिये कि वह मात्र मानव है, मानव द्वारा जो नैतिक, मौलिक एवं असक्राम्य अधिकार धारण किये जाते हैं, उन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है। इस प्रकार मानवाधिकरों से अभिप्राय उस पर्यावरण एवं उन परिस्थितियों से होता है जो मानव का उसके जीवन की रक्षा, व्यक्तित्व के विकास एवं निर्माण के लिये अनिवार्य होती हैं। मानवाधिकर प्रांरभिक मानवीय आवष्यकताओं से ओत–प्रोत मानवीय गरिमा की स्थापना का एक उपकरण एवं साधन हैं। फलतः ये आवष्यकतायें मानव के जन्म के साथ जुड़ जाती हैं। अतः मानवाधिकार सभी समाजों में अंर्निहित व्यवस्था हैं जिसमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ण तथा राष्ट्रीयता के आाधार पर भेद नहीं किया जा सकता।

मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा–पत्र

मानवाधिकार घोषणा–पत्र में प्रस्तावना सहित तीस अनुच्छेद हैं। इस घोषणा में लिखा गया हैं कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुये हैं, उनके सम्मान, अधिकार एवं मर्यादा है। अतः उन्हें हर प्रकार की स्वतंत्रता और अधिकारो को प्राप्त करने का हक है। अनु. 1 से 2 में कहा गया हैं कि सभी व्यक्तियों के साथ धर्म, जाति, लिंग, रंग, भाषा आदि को लेकर किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया जायेगा।

अनु. 3 से 21 तक नागरिक एवं राजनीतिक अधिकरों की घोषणा की गई हैं। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का अधिकार गुलामी एवं दासता से स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के सामने सुरक्षा का अधिकार, घूमन–फिरने, आदि का उल्लेख किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा–पत्र में अनुच्छेद 22 से 27 तक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लेख किया गया हैं। सुरक्षा का अधिकार, काम करने एवं आराम पाने का अधिकार एवं कल्याण का अधिकार आदि हैं।

अनुच्छेद 28 से 30 तक इन अधिकारों एवं स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिये सामााजिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाने की बात कहीं गई है, साथ ही समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया हैं।[1]

अतः इस घोषणा–पत्र को **'मानवतावाद का दमकल''** कहा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुचित सांवैधानिक व्यवस्था इस घोषणा–पत्र में की गई हैं जिसके तहत विष्व के सभी देषों ने अपने–अपने संविधान में मानव अधिकारों को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। मानवाधिकारों की रक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख रूप से निम्नलिखित संस्थायें कार्यरत हैं–

- सन् 1952 में स्थापित इंटरनेषनल कमीषन फॉर ज्यूरिस्ट्स
- इंटरनेषनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स
- एमेनेस्टी इंटरनेषनल
- वर्किंग ग्रुप ऑफ दी कमीषन ऑफ ह्यूमन राइट्स
- दी पॉलिटिकल कमीषन ऑफ जस्टिस एंड पीस

मानवाधिकार और भारत

भारत में मानवाधिकार हनन की जड़े हमारी अपनी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक बनावट और सांस्कृतिक परंपराओं में अंतर्निहित हैं। भारत में अनेक समूह, व्यक्ति, संगठन और संस्थायें मानवाधिकार क्षेत्र में कार्यरत है। जिन्होंने

पंजाब एवं दिल्ली के दंगों पर तथा अयोध्याकांड, बम्बई बम विस्फोट कांड पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये; वे जितने मार्मिक हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं, किंतु दुर्भाग्यवष ये संस्थायें मानवाधिकार के मुद्दे को केवल राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके परोक्ष रूप से आंतकवाद को बढ़ावा देती हैं। जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हैं। इसलिये आवष्यकता इस बात की हैं कि मानवाधिकार संगठनों को समाज के निर्बल वर्ग और सर्वहारा वर्ग अर्थात् समाज हित को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिये। अतः भारत में मानवाधिकार अभिरक्षण की व्यवस्था को और ठोस एवं सुव्यवस्थित करने की आवष्यकता है, लेकिन वर्तमान विष्व में मानव अधिकारों के प्रति सचेष्ट जागरूकता के क्रियान्वयन से पूर्व यह स्मरण करना अनिवार्य है कि हमारा भारत देष प्राचीनकाल से ही मानव अधिकार एवं मानव स्वतंत्रता के प्रति जागरूक रहा है। यहां की संस्कृति, परंपरायें और विचारधारा चिरकाल से माानवीय रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे महान राष्ट्र के नेताओं ने मानव अधिकारों पर काफी ध्यान दिया और इस दिषा में व्यापक कार्य किया। असल में भारत के स्वाधीनता संग्राम को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मानव अधिकारों का संघर्ष ही समझना चाहिये जिसका विष्वव्यापी महत्व है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात् भारत के संविधान में मूल अधिकारों को पावन माना गया है। इनमें सदियों से मानव अनुभव से प्राप्त ज्ञान संचित है। संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 14 से 30 तक तथा 32 से 35 तक विभिन्न मानव अधिकारों की चर्चा हमारे राष्ट्रीय नेताओं, संस्थापकों और भारत की जनता की बुनियादी ललक का प्रतीक है।

मूल अधिकारों को संविधान में स्थान देने से व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक विषिष्ट क्षेत्र स्थापित होता है। संविधान में मूल अधिकार वह यंत्र है जिनके द्वारा सरकार की निरंकुषता रोकी जाती हे और प्रत्येक व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों के क्षेत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप से सुरक्षित किया जाता है। सरकार का कोई भी अंग–कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका इनके विरूद्ध कार्य नहीं कर सकती है। मौलिक अधिकारों का उल्लघंन करने वाले किसी भी कानून को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। ये न्यायालय में प्रवर्तनीय हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये गये हैं। इन सभी अधिकारों का उद्देष्य एक ही है कि मानव जीवन सुखी रहे।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1948 में स्वीकार की गई मानव अधिकारों की विष्व घोषणा मानवीय आकांक्षाओं और लक्ष्यों की गंभीर अभिव्यक्ति है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के संविधान के मूल अधिकारों से संबधित मुख्य उपबंध मानवीय अधिकारों के विष्व घोषणा के संगत उपबंध एक ही प्रबुद्ध विचारधारा की उपज है। वर्तमान में विष्व के विभिन्न देषों में जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुये हैं, इनसे मानवाधिकरों के महत्व के बारे में समझ बढ़ी है तथा यह कहा गया है कि मानव अधिकारों के महत्व के बारे में समझ बढ़ी है तथा यह कहा गया है कि मानव अधिकारों को स्वीकार करने से समाज में स्थिरता आती है तथा समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठने के अवसर मिलते हैं जबकि इसके विपरीत का अनुभव बताता है कि उन देषों में जो शासन पद्धतियां हैं वे अस्थिर होती है तथा वे अन्यायपूर्ण और अनुचित सिद्ध हुई हैं। विष्व जगत् मानवाधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र है। लेकिन यह स्पष्ट है कि संपूर्ण विष्व में मानवाधिकारों का किसी न किसी रूप में उल्लघंन का सिलसिला जारी है। विष्व में एक भी देष ऐसा नही है जिसमें नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त हों जिनका सार्वभौम घोषणा पत्र में उल्लेख है। इससे यह प्रष्न उठना स्वभाविक है कि मानवाधिकार उल्लंघन को रोकने में सफलता क्यों नहीं रहीं हैं। इसके पीछे अनेक कारण दिखाई दे रहें हैं –

- मानवाधिकार के मुद्दें को राजनेतिक बहस का एक प्रष्न बनाये जाना।
- मानवाधिकार घोषणा पत्र के विरोधाभासी उपबंध।
- मानवाधिकार के उल्लंघन के दोषपूर्ण जांच प्रक्रिया।
- मानवीय अधिकारों की रक्षा हेतु ठोस संगठनात्मक व्यवस्था का अभाव आदि।

निष्कर्ष

हम कह सकतें है कि विष्व स्तर पर मानवाधिकारों की घोषणा, युद्व एवं हिंसा के विरुद्ध सहिष्णुता एवं असहयोग के विरुद्ध सहयोग के लिये की गई थी ताकि विष्व जगत् के मानव इन अधिकारों का उपयोग कर अपने व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसलिये इस उद्देष्य की पूर्ति हेतु यह आवष्यक हैं कि मानवाधिकारों के इस घोषणा पत्र को अंतराष्ट्रीय कानून का स्वरुप प्रदान करते हुये विष्व के सभी देषों को इस कानून के पालन हेतु बाध्य किया जाये। प्रत्येक देष की षिक्षण संस्थाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरुकता उत्पन्न करें क्योंकि भारत में मानवाधिकार षिक्षण एक सर्वथा उपेक्षित विषय रहा है। ऐसी ही स्थिति विष्व के अधिकांष देषों में है। आज विष्व में मानवाधिकारों की स्थिति को देखते हुये ऐसा प्रतीत होता है कि मानवाधिकार प्रष्न, वास्तव में वैकल्पिक जीवन दृष्टि एवं समाज व्यवस्था का भी प्रष्न है। आधुनिक सभ्यता जिस उपभोगपरक जीवन दृष्टि व मानव विरोधी आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है। उसमें किन्हीं मानवाधिकारों की कोई वास्तविक प्रतिष्ठा संभव नहीं है। इस संदर्भ में **पामर** तथा **पर्किंस** ने लिखा है कि '' विष्व के कुछ ही भागों में मानवाधिकारों तथा आधारभूत स्वतंत्रायें वास्तव में सुरक्षित हैं। अधिकांष क्षेंत्रों में तो अभी इनका कोई अर्थ नहीं हैं।'' अभी भी विकसित और विकासषील देषों के बीच मानवाधिकार को लेकर इन विसंगतियों के चलते ही सार्वभौमिकता का अंतर बना हुआ है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि ये वही देष है जो मानवाधिकारों की राजनीति करतें है तथा शेष दुनिया को साझेदार बनाने को स्वयं उत्तरदायी मानते हुये उसे अपने नियंत्रण के अंतर्गत लाना चाहतें है। यदि स्वयं उत्तरदायी मानते हुये उसे अपने नियंत्रण के अंतर्गत लाना चाहते हैं। यदि कोई देष वास्तविक अर्थो में मानवाधिकारों का क्रियान्वयन करना चाहता है तो उसे अपनी राजनीतिक प्रक्रिया पर ही नहीं अपितु सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पर भी पुनर्विचार करना होगा। आदर्ष और यथार्थ में अंतर को समाप्त करना होगा। यह निर्विवाद तथ्य है कि मानवाधिकार मानवीय जीवन का मूलाधार है तथा यह परिस्थिति

विषेष पर भी निर्भर करता है, किन्तु मानवीय प्रतिष्ठा को संभव बनाने वाले कतिपय सिदांतों को स्वीकार करके मानवाधिकारों की विष्वस्तरीय मानक व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। मानवाधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध तभी संभव है जब हम संपूर्ण जगत् के साथ एक आत्मीय लगाव महसूस करें। आवष्यकता यह भी है कि हम यथार्थ में प्रत्येक व्यक्ति को समानता के आधार पर वास्तव में महत्व प्रदान करें उनमें जागरुकता उत्पन्न करें तभी विष्व में मानवाधिकार समस्या का समाधान हो सकता है।

संदर्भ

1. संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की रिपोर्ट– 10 दिसबंर, 1948
2 मल, डॉ. पुरण, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और भारत का संविधान, प्वाइंटर पब्लिशर्स जयपुर, 2003 पृष्ठ 82–83
3 भारतीय संविधान – डॉ. सुभाष कश्यप.
4 ओम प्रकाश मिश्र मानवाधिकार विधि २००७ पृ. १